विवरण 2क

ब.अ. 2016-17 और सं.अ. 2016-17 के बीच में बड़े अंतरों का विवरण

वर्ष 2016-17 के लिए व्यय का संशोधित अनुमान बजट अनुमान की तुलना में ₹ 36,347 करोड़ निवल वृद्धि दर्शाता है। व्यय की मदें, जहां अन्तर आए हैं, नीचे दर्शाई गई हैः-

(करोड़ रुपए)

		ब.अ. 2016-17	सं.अ. 2016-17	अन्तर बचत(-)/ आधिक्य(+)
1	रक्षा को छोड़कर पूंजी परिव्यय	132806	162570	(+) 29764
2	राज्यों को अनुदान और ऋण	282222	293172	(+)10950
3	पेंशन	123368	128166	(+)4798
4	पुलिस	60335	62407	(+)2072
5	शिक्षा	31223	32229	(+)1006
6	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	13985	14478	(+)493
7	खाद्य सब्सिडी	134835	135173	(+)338
8	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान और ऋण	5476	5547	(+)71
9	रक्षा	249099	248005	(-)1094
10	अन्य सब्सिडियां	128307	125312	(-)2995
11	ब्याज भुगतान	492670	483069	(-)9601
12	अन्य	323734	324279	(+)545
	कुल व्यय	**1978060**	**2014407**	**(+)36347**

1. वृद्धि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए अधिक परिव्यय दिए जाने के कारण है।
2. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत आबंटन में वृद्धि और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दिए जाने के कारण है।
3. वृद्धि मुख्यतः "रक्षा पेंशन" के अंतर्गत अधिक आवश्यकता होने और भारत संचार निगम लिमिटेड में आमेलित दूरसंचार विभाग के भूतपूर्व कर्मचारियों को देय पेंशन के कारण है।
4. अधिक वेतन की आवश्यकता सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के कारण है।
5. वृद्धि मुख्यतः भारतीय/राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को अधिक परिव्यय प्रदान किए जाने और अन्य स्वायत्त निकायों को अनुदानों में वृद्धि के कारण है।
6. वृद्धि मुख्यतः राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए अधिक आबंटन के कारण है।
7. वृद्धि विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न अधिप्राप्ति स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्न खरीदने वाली राज्य सरकारों को अधिक खाद्य सब्सिडी के कारण है।
8. वृद्धि मुख्यतः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण स्कीमों के अंतर्गत अधिक अनुदान देने के कारण है।
9. कमी पूंजी व्यय के अंतर्गत कम आवश्यकता के कारण है।
10. कमी मुख्यतः पेट्रोलियम और एलपीजी सब्सिडी के अंतर्गत कम आवश्यकता के कारण है।
11. कमी बाजार ऋणों के अंतर्गत ब्याज भुगतान की कम आवश्यकता के कारण है।